प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (RAISEN), मध्यप्रदेश

दुरभाष :– ....फैक्स:–...ई–मेल :

कमांक :/34220234/स्कूल आई.डी. – 28800 /2584 दिनॉक:– 14/05/24

प्रबंधक,

(GRAPHITE HIGHER SECONDARY SCHOOL)

विषय : निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण प. ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनॉक तथा इस संबंध में स्कूल से पधातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल –GRAPHITE Hr.Sec.SCHOOL, Khasra No. 200/2, 201/2, N.H- 12, Near Kathariya, Seth Phoolchand Nagar, Mandideep, Obaidullaganj, Dist.- Raisen को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :–

- मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नही होगी ।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- स्कूल अपने पडोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा । उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इस में प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारभिंक शिक्षा देगा, जिस रूप में उसके वार्षिक आवत्ती व्यय को पुरा करने में हेतु इस प्रकार वार्षिक आवतिक सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह नियुतम 25 प्रतिशत के अधीन होगा वर्शते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्री–स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खड (क) से (ग) से उपबंध प्री स्कूल में प्रवेश के लिए लागु होगें ।
- पेरा 3 में निदिर्शठ बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपुर्ति की जाऐगी तथा ऐसी प्रतिपुर्ति प्राप्त करने के लिए प्रधक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसायटी/स्कूल कोई भी केपिटेशन फीस का संगह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रकिया को नही अपनायेगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेगा
  (क) आयु के सबुत के अभाव में
  (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कला विधि के प्रश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया ।
  (ग) धर्म जाति या मूल वंश जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार/पर ।
  स्कूल सुनिशिचत करेगा
- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
- किसी बालक को शाररिक या मानसिक रूप से प्रतातिड नही किया जावेगा ;
- प्रारभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यता नहीं होगी ;
- नियम 19 के अधीन प्रारभिंक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रणाण पत्र दिया जायेगा ;
- अधिनियम के उपबधनों के अनुसार निष्क /विषेश आवश्यकतो वाले बालको को समाहित किया जावेगा
- अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अहर्ता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनाँक से पांच वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्राप्त करनी होगी ।
- शिक्षकों की अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा ।
- प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे / लेंगी ।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा ।

Scanned with OKEN Scanner

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदंड बनाये रखे जाएँगे । अंतिम निरिक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयी :-

सुविधाएँ

स्थिति	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक
8. स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9. स्कूल का कुल क्षेत्रफल (स्क्वायर फीट में)	132000	70000
10. स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (स्क्वायर फीट में)	70000	70000
11. खेल का मैदान (स्क्वायर मीटर में)	35000	35000

अधोसंरचना का विवरण

स्थिति	Room as PER RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक	
कक्ष आकार (वर्ग फीट में)		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत
1. कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे		25	550	25	550
2. कार्यालय कक्ष सह भंडार, कक्ष सह प्रधानाध्यापक कक्ष		3	400	3	400
3. भोजनालय सह भंडार		1	153	1	153

च. अन्य सुविधाएँ

स्थिति	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक
1. क्या सभी सुविधाओं तक पहुँच बाधा रहित है	हाँ	हाँ
2. पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3. खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4. पुस्तकों की संख्या	5000	5000
5. पत्रिकाएं/ समाचार पत्र 6	6	
6. पेयजल सुविधा का प्रकार Tubewell	Tubewell	
7. पेयजल सुविधा की संख्या 30	30	
8. शौचालय का प्रकार (भारतीय/ पश्चिमी / नहीं) Indian & Western	Both Indian & Western	Both
9. लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या 12	12	
10. लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या 30	30	
11. विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	6	6
12. क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ?/हाँ / नहीं हाँ	हाँ	

- लेखे संपरीक्षित किए जाएँगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा । प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी ।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 34220234 एवं डाइस कोड (DISE) 23340415903 है । इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं ।
- एसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएँ ।
- सोसायटी/ न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीनीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्ते संलग्न उपाबंध 'तीन' के अनुसार होगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला RAISEN मध्यप्रदेश

जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायसेन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner